



बिहार शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | WEST CHAMPARAN

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र



क्रमांक

फाईल-SSA/RTE/930

दिनांक-05/09/22

अध्यक्ष / कार्यवाहक / प्रबंधक
केन्द्रीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, १
शिक्षा क्षेत्र-2 कमपुतिरी रोड १

विषय :- बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम Right to Education - RTE, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपखण्ड के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूति का प्रमाण पत्र।

संदर्भ :-

आपके अवैधान्तिक दिनांक: 22-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये परामर्श एवं विचारण के बिना यह निर्देशन के आदेश आपके विद्यालय CARMEL CONVENT, Carmel Convent, At-Basgaon, P.O.-P.S.-Bhairaganj, Near Harha Bridge, Bhairaganj, 845106, जिला 1 से 8 तक संज्ञास्मरित त्रुतीन वर्षों 22-09-2021 से 22-09-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रसूति प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रसूति प्रदान बच्चों के अनुपस्थान के अर्थ में होगी।

1. प्रसूति प्रदान किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुच्छेद-1) तथा बिहार राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुच्छेद-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पहला के कमजोर वर्ग एवं अक्षरधारी समूह के बच्चों का कोश रूप उन्हें मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उनकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, यद्यपि यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संयोजन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. अधिनियम 2 में उल्लेख बच्चों के मानकों में विद्यालय को बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के अंतर्गत में निर्धारित सीमा की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति को प्रत्येक वर्ष की प्रसूति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाते का संयोजन करेगा।

5. संचालन / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटल कोश नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक को स्वीकृत देना नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उपर प्रमाण पत्र के अनुपस्थान नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा घर, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इससे से किसी एक कारण के आधार पर नकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निकाला जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बाधा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के अंतर्गत में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत में विद्यालय / विद्यालय अनुपस्थित बच्चों का अनुपस्थान किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके श्रेणी निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्धारण करेंगे।

(viii) शिक्षक किसी तरह पर किसी भी प्रकार की विद्यालय प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अंतर्गत में उपस्थित सुविधाओं के अनुपस्थान रूप से बच्चों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 12 में उल्लेख मानकों एवं मानकों को सम्मिलित करेगा। विद्यालय के अतिरिक्त निर्देशन के समस्त उपस्थित सुविधाओं का विवरण निम्नः

Ranjana Kumar
Principal
Carmel Convent
C.B.S.E. Affi. No.-330965
School No.-66694

Basgaon, Bhairaganj, W. Champaran, Bihar-845106

CARMEL CONVENT, BHAIROGANJ

MANAGER

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 6077sqm

(ii) कुल विद्यार्थी :- 6077sqm

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- Play Ground, CCTV, Science Lab, Computer Lab, Library, Multipurpose Station, Parking

(iv) छात्रों की कुल संख्या :- 23

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यलय सह-निर्देशक का क्षेत्र :- 2

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग बौद्धिक :- Indian Boys :- 10 Girls :- 3

(vii) खेलकूद की सुविधा :- 1

(viii) मर्यादा भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(ix) साधारणित पदार्थ :- 1

(x) शिक्षण अधिभाग सामग्री खेलकूद उपकरणयुक्तकृत्य पुस्तकालय :- GEOBOARD DERIVATION OF THE VALUE OF PIE SLIDE PLANE PKT OF 50 NOS BLUE STAR MATH GEOMETRICAL FIGURE SOLID MODEL SET WOODEN MENSTRURATION KIT RAIN GAUGE PYTHAGORAS THEOREM FORMULA DERIVATION PRATICAL CHART OF MATHEMATICS TRIGONOMETRY KIT CUBE , Football Football Net Volleyball Volleyball Net Badminton Racket Shuffle Cocks Badminton Net Hockey Sticks Hockey Ball Cricket Bat Cricket Ball Cricket Stumps Cricket Balls Cricket Gloves Cricket Pad Basket Ball Chess Ludo Snipping . (Y - 575 - NewsPaper MagaZine - 3)

11. कोई भी अप्रत्याशित धर्मिक विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबन्धित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा क्रीडा विकास के लिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1980 (1980 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय से लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संबन्धित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संग अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संबन्धित नहीं होगा ।

15. सेवा का अकेला एवं उसका प्रमाणिकरण चार्टर्ड एकाउन्टेड के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अन्तर्गत में उपयुक्त सेवा विवरणी तैयार की जाएगी । प्रत्येक सेवा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय की आयुर्विधि प्रतीकित कोड संख्या [20310102221922201001, 2021] है । इस क्रमिकता से किसी प्रकार का पत्राचार करने से इस कोड की अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, जिला शिक्षा सहायिकारी के द्वारा समय-समय पर प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के द्वारा प्रतीकित की जाते के संगत रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता है । अथवा विद्यालय संस्था से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निदेश अनुदेशों का अनुपपन्न विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाइटी के निर्माण के उद्देश्य की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक 1 के अन्तर्गत अलग अलग

Kaushal Kumar
Principal
Carmel Convent
C.B.S.E. Affi. No - 330965
School No - 66694
Basgaon, Bhairoganj, W. Champaran, Bihar - 845105

CARMEL CONVENT, BHAIROGANJ
[Signature]
MANAGER

[Signature]
जिला कार्यक्रम सहायिकारी, WEST CHAMPARAN
सह-सचिव प्रत्यक्षीत समिति
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार